सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

प्रार्थना पत्र संख्या – 60/2018

किशनलाल **बनाम** रामेश्वर वगै.

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.6.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसडी में पेश हुई । प्रार्थी के मूल वाद का निस्तारण हो जाने से पत्रावली में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नही होने पत्रावली खारिज योग्य हे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी केकडी	